न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओमप्रकाश सहारण आर.ए.एस. किशनगढबास

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
80/18	21.5.18	4-10-21

:–उनवानः–

1. शेरसिंह पुत्र श्री किशनलाल
2. दयाराम पुत्र श्री किशनलाल
3. अमरसिंह पुत्र श्री किशनलाल जातियान अहीर निवासीयान ग्राम न्यागांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:–प्रार्थीगणः–

:–बनामः–

1. रतिराम पुत्र खुबराम
2. गिर्राज पुत्र रतिराम जातियान अहीर निवासीयान ग्राम न्यागाव तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।
3. सावल् सिंह पुत्र श्री खूबराम
4. प्रभूदयाल पुत्र श्री खूबराम
5. जगदीश पुत्र श्री खूबराम
6. भूपसिह पुत्र श्री जगदीश
7. शकुन्तला पत्नी श्री शक्तिसिंह
8. राजेशवती पत्नी श्री सुभाष जातियान अहीर निवासीयान ग्राम न्याागांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान सरकार।

:– असल प्रतिवादीगणः–

:– तरतीबी अप्रार्थीगण :–

अन्तर्गत धारा 111राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्टकराये जाने पत्थरगढी

उपस्थितिः– 1.श्री धीरसिह चौधरी वकील प्रार्थी की ओर से
2.प्रतिवादीगण की ओर से श्री जनार्धन शर्मा
3.तरप्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय प्रा0पत्र पत्थरगढी

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार हैः–

वकील प्रार्थी ने आ0ख0न0 731 रकबा 5.00 बीघा,732 रकबा 5–00 बीघा वाके ग्राम नयागांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित है । उक्त आराजी ख0न0 731 व 732 जो प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसका अप्रार्थीगण ने डोला तोडकर के अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 1027 में मिला लिया। तत्पश्चात प्रार्थीगण ने अपनी की पैमाईश, करवाने हेतु एक आवेदन दिया जिस आवेदन पर नियमानुसार फीस जमा कराने के उपरान्त दिनांक 21.10.1999 को उभय पक्षकारान की उपस्थिति में आराजी की पैमाईश निम्न प्रकार की गई किः– खसरा नम्बर 731 की पूर्वी मेड से जरीब चलाकर तरफ दक्षिण खसरा न0 1029 तक पैमाईश की गई। खसरा नम्बर 1029 तक पैमाईश की गई। खसरा नम्बर 731 व 732 की पूर्वी डोल को माप मुताबिक नक्शा लटठा कमश 37 गठठा व 79 गठठे है। जो मौके पर खसरा के बजाय साढे पिचहतर गठठे है जो मुताबिक नक्शा लठठा के साढे तीन गठठे कम हैं। इन खसरा नम्बरान से लगते हुये ग्राम नयागाव के खसरा नम्बर 1027,1028 व 1029 है कि पैमाईश की गई। ख0न0 1027 की मुताबिक नक्शा के पूर्वी डोल 17 गठठे है, जबकि मोके पर मिला रखे है। जिनकी पूर्वी डोल मुताबिक नक्शा 16 गठ्ठा होनी चाहिए । जबकि मौके पर साढे उन्नीस गठ्ठा है। खसरा नम्बर 732 की दक्षिणी डोल नक्शे के अनुसार 26 गठ्ठा पाई गई। अतः खसरा नम्बर 732 की पूर्वी डोल की तरफ दक्षिणी लम्बाई में साढे तीन गठ्ठे व खसरा नम्बर 1027 का एक गठठा खसरा न0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

1028 व 1029 में मिला हुआ पाया गया। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 732 का सीमा ज्ञान कराकर निशान बताये गये तथा श्रीमन उपखण्ड अधिकारी ने पत्थरगढी के आदेश दिनांक 17.6.13 को पारित किये। पैमाईश रिपोर्ट आज तक असल अप्रार्थीगण ने चलेन्ज नही किया गया और नाही पुनः कोई पैमाईस करवाई गई।

असल अप्रार्थीगण ने दावा ख0न0 733 रकबा 1.29 है0 व 1027 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम नयागाव तहसील किशनगढबास की बाबत न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया और यह इस्तदुआ चाही कि पैमाईश दिनांक 21.10.1999 के आधार पर पत्थरगढी नही कराये। जिसका निर्णय 18.12.2017 के द्वारा न्यायालय श्रीमान भू–प्रबंध अधिकरी एवं पदेन राजस्व अधिकारी द्वारा अपना निर्णय पारित करते हुये आदेश दिया कि आराजी खसरा न0 733 व 1027 में किसी प्रकार की प्रार्थीगण मदाखलत व मजाहमत पैदा नही करे और साथ ही यह आदेश दिया कि जहां तक पैमाईस संबंधी विवाद का प्रश्न तो संदर्भ में हमाराविनम्र मत है कि पुनः पैमाईश/ पत्थरगढी हेतु सक्ष्म न्यायालय में वाद पत्र लगाया जा सकता है। यह बात सही है कि उक्त पैमाईश के आधार पर जो खसरा नं0 733 व 1027 में अप्रार्थीगण ने जो प्रार्थीगण का खसरा न0 731 व 732 का रकबा दबाया हुआ था उसका पैमाईश कर सीमा ज्ञान कर गया ।इसका मतलब प्रार्थीगण ने आराजी ख0न0 731 व 732 का जो रकबा अप्रार्थीगण ने खसरा नं0 733 व 1027 में मिला रखा था उसको पत्थरगढी कराने का प्रार्थीगण को विधिक अधिकार है अगर अप्रार्थीगण को कोई एतराज था तो पैमाईश कराने पर दोषी पाये जायेगे जिसके कारण पैमाईश नही कराई गई इसका मतलब साफ साबित है कि पैमाईश दिनांक 21.10.1999 आज तक अस्तीतव में है और उसके आधार पर जो पत्थरगढी की गई है वो सही है।

अप्रार्थीगण जबरन हमारी आराजी में डोल तोडकर जबरन प्रवेश कर ज ाते है तो मोके पर कोई भी संगीन वारदात हो सकती है तथा झगडा होने की सम्भावना पैदा हो जावेगी । प्रार्थना पत्र पेश करते समय तरतीबी अप्रार्थीगण उपस्थित नही है, जिसके कारण तरतीबी अप्रार्थीगण की जद में शामिल कर प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक है व न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र हाज के लिए बिनाय दावी व बिनाय मुखासमत दिनांक 15.5.18 को पैदा हुई है जिस दिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की आराजी में मजाहमत व मदाखलत पैदा करने व डोल को तोडकर निर्माण आदि करने का प्रयास किया जिससे प्रार्थना पत्र मामूलन अन्दर मियाद पेश है।

विवादित आराजी व प्रार्थीगण अन्दर श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 21.10.1999 के मुताबिक आराजी खसरा न0 731 रकबा 05–00 बीघा व 732 रकबा 05–00 बीघा स्थित वाके ग्राम नयागॉव तहसील किशनगढबास जिला अलवर की मुताबिक एक्सपर्चा व जमाबन्दी हाल पत्थरगढी कराये जाने की आज्ञा सादिर प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण नं0 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया । अप्रार्थीगण ने अपने जवाब मे कहा है कि अराजी ख0न0 731,732 व 733,1027,1028, 1029 वाके ग्राम नयागांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान मे स्थित है यह सही है हम असल अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0न0 731,732 का कोई रकबा हमारे ख0न0 1027 में नही मिलाया गया । दिनांक 21.10.1999 के हम असल अप्रार्थीगण की उपस्थिति में कोई मौका निरीक्षण नही किया गया, ना ही हम असल अप्रार्थीगण के मोके रिपोर्ट पर कोई हस्ताक्षर कराये गये है। प्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट के आधार दिनांक 21.10.1999 कर्मचारियान राजस्व पटवारी हल्का आदि से साजबाज होकर तैयार करायी है। जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण कोई पत्थरगढी कराने के नैतिक एवं विधिक रूप से अधिकारी नही है हम असल अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे में कोई बाधा पैदा नही की है दिनांक 15.5.18 को मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कोई घटना या वार्तालाप प्रार्थीगण व हम असल अप्रार्थीगण के मध्य नही हुआ। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण हम असल अप्राथीगण के खिलाफ मय हर्जा खर्चा विशेष खारिज फरमाया जावे। तथा दिनांक 22.1.2021 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत पैमाईश हेतु पेश किया गया । प्रार्थना पत्र सहमति से स्वीकार किया गया।

हमने वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील वादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोराते हुए बताया कि आ0ख0न0 731 रकबा 5.00 बीघा, 732 रकबा 5–00 बीघा वाके ग्राम नयागांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर में स्थित है । उक्त आराजी ख0न0 731 व 732 जो प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसका अप्रार्थीगण ने डोला तोडकर के के असल प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 1027 में मिला लिया। तत्पश्चात प्रार्थीगण ने अपनी की पैमाईश करवाने हेतु एक आवेदन दिया जिस आवेदन पर नियमानुसार फीस जमा कराने के उपरान्त दिनांक 21. 10.1999 को उभय पक्षकारान की उपस्थिति में आराजी की पैमाईश करवा दी थी लेकिन अप्रार्थीगण ने पुनः पैमाईस हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था को श्रीमान द्वारा स्वीकार कर लिया इस लिए अप्रार्थीगण अपने खर्चे पर पुनः पैमाईश अतिशीघ्र करावे क्योकि मामला काफी पुराना हो चुका है। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में ख0न0 731 रकबा 5–00 बीघा व 732 रकबा 05–00 बीघा वाके ग्राम नयागॉव तहसील किशनगढबास, की पैमाईश प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में हल्का पटवारी एवं कानूनगो से करवाई जाने के बाद पत्थरगढी किया जाने में हमे कोई आप्पति नहीहै।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र वास्ते पैमाईस किया था पक्षकारान की उपस्थिति में एवं राजस्व. कर्मचारियो की उपस्थिति में पैमाईस करवाई जावे प्रार्थना पत्र वीकार किया गया लेकिन अप्रार्थीगण को अति शीघ्र पैमाईश करानें बाबत निर्देशित किया जाना एवं बाद माईश पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर आराजी ख0 न0 731 रकबा 5–00 बीघा, 2 रकबा 5–00 बीघा की वाके ग्राम नयागांव तहसील किशनगढबास में स्थित है उक्त भूमि की थरगढी बाद पैमाईस प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एवं पडोसी काश्तकारो की मौजूदगी में अन्य किसी ायालय का स्थगन नही हो तो की जावे। पैमाईश प्रार्थना पत्र सहमति से स्वीकार हुआ है इसलिए प्रार्थी स्वयं अपने खर्चे पर शीघ्र पैमाईश करवायें साथ ही उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें सी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार किशनगढबास को र्णय की प्रति नियमानुसार पालना हतु भिजवाई जावे।। खर्चा प्रार्थी स्वयं वहन करेगें। पत्रावली फैसल मार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार रहे।

(ओम प्रकाश मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)
किशनगढबास(अलवर)